वित्तीय स्वीकृति

संख्य -30/2015/926/52-3-15-बजट(9)/2015

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□/कार्यपालक अधिकारी,
□0प्र0 राज्य हज समिति
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 27 अप्रैल, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रान्तीय हज समिति को मद संख्या-20-□□□□□□-सामान्य (□□□ □□□) □□□ 31-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□) □□ में वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेन्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(अ□-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/□□-1-925/□□-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 के प्रस्त -2(9) □ 2(10) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार □0प्र0 राज्य हज समिति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्यय में मानक मद संख्य -20-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□ □□□) □□□ 31-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□) मद में प्राविधानित धनराशि क्रमशः रू0 55,00,000/- तथा रु0 01,06,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः 0 27,50,000/- □□□ रू0 53,00,000/- अर्थात् कुल रु0 80,50,000/- (रू0 अस्सी लाख पचास हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया □□येगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) □□□ □द में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विव / उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन द 18-08-2015 □□ □□□ □□□□□ □□□□□(गैर वेतन मद में) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31-03-2016 उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (□लाटमेन्ट मा) किसी प्रकार के व्यय करने अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक □□, □□ □□मलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□

(5) धनराशि के व्यय में वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्यता संबंधी आदेशों का विधिवत पालन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-48 □□ □□□□र्षक 2250-अन्य समाजिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□)/31-□□□□□ □□□□- सामान्य (□□□) के नामें डाला जायेगा।

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□-1-925/□□-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्य-926(1)/52-3-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in